



-प्रेस नोट-

दिनांक:28.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब बनाते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से शराब कसीदगी के उपकरण एव 220 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व 390 लीटर लहन एवं 02 किलोग्राम यूरिया बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एव नशा तस्करी, अवैध मदिरा के निर्माण/बिक्री/तस्करी के अपराधो मे संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 28.06.2026 को 02 अभियुक्तगण 1- कुलदीप उर्फ जितेन्द्र पुत्र जसवीर निवासी ग्राम टपरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर व 2- सतेन्द्र पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम टपरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर को जंगल ग्राम टपरी से मय शराब की भट्टी (शराब कसीदगी के उपकरणो) एवं 220 लीटर कच्ची शराब खाम/309 लीटर लहन व 02 किलोग्राम यूरिया के साथ गिरफ्तार किये गये, जिसके सम्बन्ध मे थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 160/2026 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 274/275 बीएनएस पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तो को आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. कुलदीप उर्फ जितेन्द्र पुत्र जसवीर निवासी ग्राम टपरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
2. सतेन्द्र पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम टपरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 220 लीटर अवैध कच्ची शराब (03 जरीकैन, 01 नीला ड्रम, 01 कनस्तरी)
- 390 लीटर लहन
- 02 किलोग्राम यूरिया
- शराब कसीदगी के उपकरण

गिरफ्तार अभियुक्त कुलदीप का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 37/2005 धारा 60/62 आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 250/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 160/26 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 274/275 बीएनएस थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त सतेन्द्र का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 212/2020 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 160/26 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 274/275 बीएनएस थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. श्री नरेन्द्र भडाना थानाध्यक्ष थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।

2. उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 श्री लाखन सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
4. कां0 951 निकेत शर्मा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
5. कां0 1198 अनिल कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
6. कां0 112 हिमांशु थाना बडगांव जनपद सहारनपुर ।
7. कां0 7605 सुदीप कुमार कनौजिया आबकारी टीम सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 28/06/2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 वारण्टी/अभियुक्त सावन पुत्र राकेश निवासी मौहल्ला वाल्मीकि कालोनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं०- 399/18 व मु०अ०सं० 315/2015 धारा 147/148/323/324/504/506 भादवि राज्य बनाम सावन थाना देवबन्द व वाद सं०- 736/18 व मु०अ०सं० 457/15 धारा 147/148/149/307 भादवि व 7 सी०एल० एक्ट (मा० न्यायालय सहारनपुर) द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में थाना देवबन्द क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सावन पुत्र राकेश निवासी मौहल्ला वाल्मीकि कालोनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ०नि० श्री गोविन्द शरण थाना देवबन्द सहारनपुर
- 2- का० 2284 श्रीकृष्ण थाना देवबन्द सहारनपुर
- 3- रि०का० 222 कपिल कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर



दिनांक 28.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना मण्डी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध अस्लाह रखने वाले व तस्करी की रोकथाम व कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.06.2026 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान **01 शातिर अभियुक्त वकील पुत्र शकील निवासी गली नं0 02 मौहल्ला 786 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर** को मण्डी समिति परिसर आरती श्याम लाल के गोदाम के पास पीछे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से **01 अवैध चाकू व चोरी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस रंग सिलवर (सम्बन्धित मु0अ0सं0 323/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना सदर बाजार)** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 321/2026 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वकील पुत्र शकील निवासी गली नं0 02 मौहल्ला 786 थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद नाजायज चाकू
- 01 चोरी की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल रंग सिलवर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-191/2023 धारा 379/411 बीएनएस थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 264/2023 धारा 63/414/465 आब0 अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 395/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 397/2024 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री सतपाल सिंह भाटी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 विपिन थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 28.06.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 02 स्पीकर कालम, 01 छत का पंखा आदि सामान बरामद

घटना का विवरण:-

दिनांक 28.06.2026 को वादी श्रीमती गीता पत्नी स्व० संजय कुमार निवासी औजपुरा थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया के घर में घुसकर पानी की मोटर, छत का पंखा, गैस सिलेण्डर, स्पीकर कालम, 01 एम्प्लीफायर चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु०अ०सं० 324/2026 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं की रोकथाम व चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में कार्यवाहक थाना प्रभारी वरि०उ०नि० श्री विपिन कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का अनावरण करते हुए **01 अभियुक्त हर्ष उर्फ हर्षी पुत्र नवाब सिंह तोमर निवासी नवीन नगर गली नं० 03 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को गोपाल मंदिर के पास रेलवे कालोनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के **कब्जे/निशानदेही पर 02 स्पीकर कालम काला रंग GBL कम्पनी के, 01 छत का पंखा लाल रंग BLACK AND BERRY कम्पनी आदि सामान बरामद**। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 331(4)/317(2)/3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हर्ष उर्फ हर्षी पुत्र नवाब सिंह वर्ष निवासी नवीन नगर गली नं० 03 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

बरामदगी

02 स्पीकर कालम काला रंग GBL कम्पनी के

01 छत का पंखा लाल रंग BLACK AND BERRY कम्पनी का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. कार्यवाहक प्रभारी वरि०उ०नि० श्री विपिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री अमित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. का० 2364 अनिल कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. हे०का० 753 अमरपाल सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
5. रि०का० 2120 सचिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 28/06/2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.06.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 वारण्टी/अभियुक्त सुशील पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम रणखण्डी पछाया पट्टी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद स0- 122/26 व मु0अ0सं0 342/2000 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में थाना देवबन्द क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुशील पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम रणखण्डी पछाया पट्टी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
- 2- का0 185 हर्ष चौहान थाना देवबन्द सहारनपुर



दिनांक 28.06.2026

-प्रेस नोट-

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाले 02 शातिर जालसाज

अभियुक्त गिरफ्तार

बरामदगी का विवरण -

- 03 मोबाइल फोन
- 03 पम्पलेट अलग अलग कम्पनी के
- 03 उद्ययम रजिस्ट्रेशन सर्रिफिकेट अलग अलग कम्पनी के
- 01 अदद लैपटाप acer company
- 02 स्क्रेनर
- 01 स्क्रेनर मशीन
- 01 पीओएस मशीन
- 03 मोहर प्लास्टिक
- 07 सिम अलग अलग कम्पनी के
- 01 पासपोर्ट, 03 आधार कार्ड अलग अलग नाम के
- 20 चैक जिसमे 19 खाली व एक भरा है
- 26 एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंक व अलग अलग नाम के
- 19 चैकबुक अलग अलग बैंक व अलग अलग नाम की
- 24 पासबुक अलग अलग बैंक
- 04 बिल बुक अलग अलग कम्पनी की

घटना का विवरण:-

दिनांक 16.02.2026 को वादी/पीडित अंशुल गुप्ता पुत्र स्वर्गीय प्रदीप कुमार गुप्ता प्रोपराईटर फर्म मंगलम एन्टर प्राईजेज बेहट रोड कुष्ट आश्रम के सामने थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ ट्रेडिंग के नाम पर हुए 1,31,25,200/- रुपये के साइबर फ्राड कर लेने के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम सहारनपुर पर मु0अ0सं0-11/26 धारा 318(4), 319(2), 3(5) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा

मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए **02 शातिर साइबर ठग/अभियुक्तगण 1.सद्वाम पुत्र शमीम अहमद निवासी ग्राम ईशवापुर पोस्ट ईशवापुर थाना ईशवापुर जनपद छपरा बिहार हाल पता किराये का मकान गली नं0 15 दीपक बिहार खोडा कॉलोनी गाजियाबाद व 2.जावेद अंसारी पुत्र मौ0 अलाउद्दीन अंसारी निवासी ग्राम जामाडोबा थाना जोरा पोखर जिला धनबाद राज्य झारखण्ड हाल पता किराये का मकान गली नं0 15 दीपक बिहार खोडा कॉलोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण की कब्जे/निशानदेही पर साइबर ठगी प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक उपकरण आदि सामान बरामद । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।**

अपराध का तरीका:- वादी/पीडित ने KU COIN (APP) जिसका MINGCOIN (TRADING PLATFORM) के नाम से ट्रेडिंग प्लेटफार्म है एवं जिसका टोल फ्री नम्बर 7032700245 है, जिस पर वादी ने ऑन लाईन सम्पर्क कर ट्रेडिंग के नाम पर ज्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से वादी ने कुल 1,31,25,200/- रूपये का इन्वेस्ट KU COIN (APP) में किया परंतु जब पैसा रिफंड करने का प्रयास किया गया तो पैसा वापस नहीं हो पाया है ।

गिरफ्तारी का विवरण – मु0अ0सं0-11/26 धारा 318(4), 319(2), 3(5) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त के खाते में मुकदमा वादी के रु0 4,00,000/- ट्रांसफर हुए थे उक्त खाता धारक सद्वाम पुत्र के प्राप्त पते गलत थे, संदिग्ध मोबाइल नम्बर की ट्रेडिंग के दौरान पता चला की उसकी लोकेशन दीपक बिहार खोडा कॉलोनी गाजियाबाद में होना पाया, लोकेशन प्राप्त होने पर इसकी सूचना उच्चधिकारियों को अवगत कराते हुए सद्वाम उपरोक्त को सहअभियुक्त जावेद के साथ गिरफ्तार किया गया है जो शातिर किसम के साइबर फ्रॉड के अपराधी हैं जिनसे साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त सामग्री बरामद हुई है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सद्वाम पुत्र शमीम अहमद निवासी ग्राम ईशवापुर पोस्ट ईशवापुर थाना ईशवापुर जनपद छपरा बिहार हाल पता किराये का मकान गली नं0 15 दीपक बिहार खोडा कॉलोनी गाजियाबाद
2. जावेद अंसारी पुत्र मौ0 अलाउद्दीन अंसारी निवासी ग्राम जामाडोबा थाना जोरा पोखर जिला धनबाद राज्य झारखण्ड हाल पता किराये का मकान गली नं0 15 दीपक बिहार खोडा कॉलोनी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -

- 03 अदद मोबाइल फोन
- 03 पम्पलेट अलग अलग कम्पनी के
- 03 उद्ययम रजिस्ट्रेशन सर्रिफिकेट अलग अलग कम्पनी के
- 01 अदद लैपटाप acer company
- 02 स्क्रेनर
- 01 स्क्रेनर मशीन
- 01 पीओएस मशीन
- 03 मोहर प्लास्टिक
- 07 सिम अलग अलग कम्पनी के
- 01 पासपोर्ट, 03 आधार कार्ड अलग अलग नाम के
- 20 चैक जिसमे 19 खाली व एक भरा है
- 26 एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंक व अलग अलग नाम के
- 19 चैकबुक अलग अलग बैंक व अलग अलग नाम की
- 24 पासबुक अलग अलग बैंक

04 बिल बुक अलग अलग कम्पनी की

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 11/2026 धारा 318(4), 319(2), 3(5) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
- 13 NCRP कम्प्लेन

गिरफ्तारी/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार, थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
- 2- उ0नि0 पीयूष कुमार, थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर
- 3- है0का0 रोहित कुमार, थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर।
- 4- है0का0 नितिन शर्मा, थाना साइबर क्राइम जनपद सहारनपुर ।

CAUTION:- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड होने पर साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करे।



दिनांक 28.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष तीतरों श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में दिनांक 27.06.2026 को ग्राम बरसी की पुलिया से संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चैकिंग के दौरान दो वाहन चोर अभियुक्त 1.आशीष पुत्र नाथी निवासी ग्राम भावसी थाना नानौता जनपद सहारनपुर 2.सागर पुत्र पवन निवासी ग्राम ठोल्ला फतेहपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पानीपत हरियाणा से चोरी की गयी 02 मोटरसाइकिल 1.स्पलेन्डर प्लस रंग काला रजि० नं० HR06T7818 2.स्पलेन्डर प्लस रंग काला रजि० नं० HR05BD0476 बरामद। जिसके सम्बन्ध में थाना तीतरो पर मु०अ०सं० 80/26 धारा 317 (5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1.आशीष पुत्र नाथी निवासी ग्राम भावसी थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 2.सागर पुत्र पवन निवासी ग्राम ठोल्ला फतेहपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की 02 मोटरसाइकिल (स्पलेन्डर प्लस रंग काला)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थाना प्रभारी श्री विकास चारण थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री मुकेश कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० श्री कृष्ण कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
4. है०का० 740 हनी सिंह थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
5. का० 1034 रविन्द्र कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
6. का० 1090 अमित कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर



दिनांक 28.06.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष तीतरों श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.06.2026 को फुसगढ पुलिया थाना क्षेत्र तीतरो पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति कन्हैया पुत्र बलजोर सिंह निवासी ग्राम ठोल्ला फतेहपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस बरामद। जिसके सम्बन्ध में थाना तीतरो पर मु0अ0सं0 81/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कन्हैया पुत्र बलजोर सिंह निवासी ग्राम ठोल्ला फतेहपुर थाना तीतरो जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमन्चा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

7. थाना प्रभारी श्री विकास चारण थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
8. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
9. का0 2504 रवि पिप्पल थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
10. रि0का0 2620 अमन सिंह थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
11. रि0का0 2624 आदित्य कुमार थाना तीतरों जनपद सहारनपुर